

(a) the details of fundamental rules which were applied for fixing the basic pay of drivers appointed in July, 1996, alongwith revised and pre-revised scales in which they have been fixed;

(b) whether Government/DDA have received any representations from the drivers;

(c) if so, the details of representations and the action taken so far to provide justice to affected drivers; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT (SHRI RAM JETHMALANI): (a) DDA has reported that the basic pay of drivers appointed/promoted in July, 1996 has been fixed in accordance with FR 22(1) (a) (i). The pre-revised scale is Rs. 1150-25-1500 and the revised pay scale is Rs. 3050-75/3950/80/4590.

(b) Yes, Sir.

(c) and (d) The representation was for fixation of the pay at Rs. 3575/- instead of Rs. 3050/-. The case was again examined and the pay fixed was found to be in order. A reply was accordingly sent to the General Secretary of the Association - DDA Vahan Karamchari Union (Regd.) on 23.3.1998. Since, the pay fixation was found to be in order and as per rules, no further action was taken.

सरकारी फाइलों के संबंध में जानकारी

154. श्री बलवन्त सिंह रामवालिया :
श्री कपिल सिब्बल :

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि माननीय मंत्री ने नागरिकों द्वारा सूचना प्राप्त करने के अधिकार को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी फाइलों के बारे में निर्देश जारी किए थे;

(ख) यदि हां, तो इन निर्देश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निर्देशों का पालन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो अक्तूबर, 1998 के अंत तक इनसे कितने नागरिक लाभान्वित हुए; और

(ड.) यदि नहीं, तो निर्देशों का पालन न किए जाने के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : (क) जी हां।

(ख) मंत्री महोदय द्वारा जारी निर्देशों की प्रति विवरण में संलग्न हैं। (नीचे देखिए)

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ड.) सरकार ने निर्णय लिया है कि सभी विभागों के लिए एक समान नीति तैयार होने तक उक्त निर्देशों का कार्यान्वयन स्थागित रखा जाए।

विवरण

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री का कार्यालय

जनता द्वारा फाइलें देखने तथा मंत्रालय में कार्यालय फाइलों के उद्घरण देने के संबंध में कार्यालय ज्ञापन तथा प्रोफार्मा संलग्न हैं। यह कार्यालय ज्ञापन तत्काल जारी कर जनता के लिए प्रकाशित किया जाए।

ह./-

(शहरी कार्य और
रोजगार मंत्री)

10.10.98

विशेष सचिव (यू.एई.)

भारत सरकार

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली

10 अक्तूबर, 1998

कार्यालय ज्ञापन

शासन के राष्ट्रीय एजेंडे के पहले खण्ड में उल्लेख है कि:-

“हमारा वादा लोगों को ऐसी स्थायी, ईमानदारी, पारदर्शी तथा सक्षम सरकार देना है जो सम्पूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम हो”।

आज विश्व के उन देशों में भारत भी शामिल है जिनमें सर्वाधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है क्योंकि यहां पारदर्शिता का अभाव है। भ्रष्टाचार तभी दूर किया जा सकता है जबकि लोगों को जानकारी हो। सूचना का अधिकार प्रजातंत्र का मूल अधिकार है। अधिकांश मामलों में भ्रष्टाचार तभी होता है जब हम फाइलों में काम करते समय गोपनीयता करते हैं। शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय जैसे विभागों में जहां निर्धारित नियमों के अनुसार ही फाइलें निपटाई, जानी हैं, गोपनीयता बरतने का कोई कारण नहीं है। अतः

शहरी कार्य और रोजगार विभाग में पारदर्शिता के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश तत्काल प्रभाव से अनुमोदित किए जाते हैं:-

1. जनता को इस विभाग की कोई भी फाइल देखने का अधिकार होगा सिवाय उन फाइलों के जिनमें केबिनेट नोट तैयार किए जा रहे हो, जिनमें मंत्रिमंडल के निर्णय की प्रतीक्षा हो जो बजट प्रस्तावों से संबंधित हो तथा जिनमें सतर्कता जांच चल रही हैं।

2. किसी भी व्यक्ति को चाहे वह संबंधित न भी हो, विभाग में कोई भी फाइल देखने का अधिकार होगा।

3. कोई भी व्यक्ति जो फाइलें देखना चाहे निर्धारित फार्म भरकर संबंधित अवर सचिव/डेस्क अधिकारी को प्रस्तुत करे। संबंधित अवर सचिव/डेस्क अधिकारी नोडल अधिकारी होगा। नोडल अधिकारी आवेदन करने की तारीख के पांच दिन के अन्दर फाइल उपलब्ध कराएगा।

4. फाइल देखने का निर्धारित शुल्क 10/-रु. हैं। ये फाइलें अवर सचिव की उपस्थिति में उनके कक्ष में देखी जाएंगी।

5. यदि अपेक्षित फाइल अवसर सचिव के पास न हो तो जिस अधिकारी के पास वह फाइल हो उनसे उस समय के लिए मांगी जाएगी। यदि वह फाइल मंत्री कार्यालय में भी हो तो भी अवर सचिव वह फाइल मांगेंगे, उसे लेकर बाद में उसी दिन मंत्री कार्यालय में पुनः प्रस्तुत करेंगे। फाइल लेते समय तथा पुनः प्रस्तुत करते समय अवर सचिव को अधिकारियों को क्रम से फाइल प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है जैसा कि आमतौर पर किया जाता है। वह सीधे ही संबंधित अधिकारी से फाइल ले सकते हैं तथा उसी दिन उसे वापस कर सकते हैं।

6. यदि कोई व्यक्ति नोट शीट अथवा पत्राचार के उद्घरण लेना चाहे तो वह निर्धारित आवेदन फार्म में टिप्पणी के ब्यौरे देगा। फोटो प्रति उपलब्ध कराने के लिए प्रति पृष्ठ 2/-रु. लिए जाएंगे। आवेदक को उद्घरण सात दिन के अन्दर उपलब्ध कराये जायेंगे।

7. शुल्क प्रेषण की प्रक्रिया को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा।

अवर सचिव, भारत सरकार

दिनांक

भारत सरकार

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

फाइलें देखने के लिए आवेदन हेतु प्रोफार्मा

1. आवेदक का नाम:-

2. पता तथा दूरभाष नं:-

3. संबंधित फाइल का विषय :-

4. फाइल संख्या (यदि पता हो)

5. 10/-रु. प्रति फाइल की दर से प्रेषित शुल्क की रसीद सं. तथा तारीख (रसीद लगाएं)

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख:

भारत सरकार

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

फाइल का उद्घरण भेजने के लिए आवेदन हेतु प्रोफार्मा

1. आवेदक का नाम:-

2. पता तथा दूरभाष नं:-

3. संबंधित फाइल का विषय:-

4. फाइल संख्या (यदि पता हो)

5. भेजे जाने वाले नोट फाइल पृष्ठ:-

6. पृष्ठों की संख्या:-

7. भेजे जाने वाले पत्राचार फाइल पृष्ठ :-

8. पृष्ठ की संख्या :-

9. कुल पृष्ठ :-

(क्र.सं.648)

10. 2/-रु. प्रति पृष्ठ की दर से प्रेषित:-
शुल्क की रसीद सं. तथा तारीख
(रसीद लगाएं)

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख:

Shifting of Jtauggies From P&T Land

155. SHRI RAJNATH SINGH SURYA:
Will the MINISTER OF URBAN AFFAIRS AND EMPLOYMENT be pleased to stated (a) whether it is a fact that Department of Communications had paid Rs. 4 crores for paying to the jhuggi dwellers on the P&T land on Kali Bari Marg near Gole Market for shifting them from there;